IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

Child Labour In Zardozi Industry

ज़रदोजी उद्योग में बाल श्रम

***Shilpi Saxena (Research Scholar)**

****Dr. Anupama Mehta (Assistant Professor)**

SHUATS, Prayagraj (U.P.)

सारांश (Abstract)– बाल श्रम का अर्थ उस कार्य से है जो बालकों को उनके बचपन तथा अन्य ऐसे सभी सुख–सुविधाओं से दूर करता है जोकि एक बालक पाने का हकदार है। बाल श्रम के कारण बालक शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। हमारे देश में बाल श्रम की समस्या व्याप्त है। बालक जीविकोपार्जन हेतु श्रम कर रहे हैं। ये बालक विकट परिस्थितियों में श्रम करते हुए कई प्रकार की समस्याओं से भी ग्रसित हो जाते हैं। यद्यपि बाल श्रम कराना अपराध है तब भी जगह–जगह बालकों को काम करते देखा जा सकता है। ये बालक दुकानों में, फैक्ट्री में, सड़क पर सामान बेचते, कारखानों में, छोटी इकाईयों आदि में काम करते देखे जा सकते हैं। इन्हीं बाल श्रमिकों में से ज़रदोजी उद्योग के बाल श्रमिक है। प्रस्तुत शोध पत्र में बरेली जिले के ज़रदोजी उद्योग के बाल श्रमिकों का अध्ययन किया गया है।

मुख्य शब्द (Keywords)– ज़रदोजी, बाल श्रमिक

प्रस्तावना– किसी भी राष्ट्र का भविष्य बच्चों के उचित विकास पर निर्भर करता है। क्योंकि बालक ही देश का भविष्य होते हैं। सभ्य तथा खुशहाल समाज के निर्माण हेतु बालकों को शिक्षित करना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि यही बालक कल को किसी राष्ट्र को समृद्धि की ओर ले जाएंगें। बाल श्रम एक वैश्विक स्तर की समस्या है। बाल श्रमिक शब्द से तात्पर्य उन सभी बालकों से है जो 15 वर्ष से कम आयु के है तथा जो संगठनात्मक अथवा गैर संगठनात्मक, जोखिमपूर्ण अथवा गैर–जोखिमपूर्ण स्थितियों में अपने तथा अपने परिवार की आजीविका हेतु कार्य करने के लिए बाध्य है। जोकि उनके लिए शोषणकारी है तथा उनके स्वास्थ्य शारीरिक मानसिक विकास के लिए जो हानिकारक है ही साथ–साथ यह उनको शिक्षा के अवसरो से भी वंचित करता है। भारत में बाल श्रम बढ़ने से बालकों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। बालक किसी भी राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण सम्पत्ति का गठन करते है। जवाहर लाल नेहरू ने एक बार कहा था, ''राष्ट्र अपने बच्चों के नन्हें कदमों से चलता है। बालक राष्ट्र का भविष्य होते हैं। ये हमारे राष्ट्रीय रूपी उद्यान के पुष्प है।''

बाल श्रम एक गंभीर समस्या है जिसका आज सम्पूर्ण विश्व सामना कर रहा है। आई0एल0ओ0 की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में करीब 10 करोड़ बच्चे कमाई के लिए मेहनत कर रहे है। वे स्कूली शिक्षा छोड़ने के लिए मजबूर है उनका शोषण किया जाता है तथा वे अपने बचपन से कोसों दूर हो चुके हैं। वे अपने घर के कमाऊ सदस्य बन चुके हैं। इन बालकों से श्रम ने उनका बचपन छीन लिया है। बाल श्रम बालकों के अधिकारों के दुरुपयोग का प्रतिनिधित्व करता है। बाल श्रम राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करके इन बालकों के अधिकारों का हनन करता है। कई कामकाजी बच्चे जोकि बंधुआ मजदूर व बाल वैश्यावृत्ति अथवा ऐसे किसी भी प्रकार के कार्य में संलग्न है उनके शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक आदि विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

यह राष्ट्र के लिए बेहद शर्मनाम है कि यहाँ लाखों बच्चे अपनी दैनिक गतिविधि में खतरनाक कार्यों में श्रम कर रहे हैं जबकि लाखों युवा तथा सक्षम लोग बेरोजगार बैठे है। बाल श्रम को नियोक्ताओं के लिए पर्याप्त लागत बचत तंत्र का हिस्सा माना जाता है। क्योंकि नियोक्ता बालकों को कम मजदूरी पर अधिक घंटों तक कार्य करने को विवश करते हैं। पहले बच्चों द्वारा किये जाने वाले अधिकांश कार्य फैक्ट्री आधारित थे जिसमें स्थितियाँ बेहद खतरनाक थी। कारखानों के अंदर किया जाने वाला अधिकांश काम अब घरों के स्तर पर भी होने लगा है। यह कानून को दरकिनार करने के लिए अनौपचारिक घर आधारित उत्पादन इकाईयों में स्थानांतरित कर दिया गया है। भारत सरकार की श्रम आयोग की रिपोर्ट (राष्ट्रीय श्रम आयोग, 2001 पेज–168) के अनुसार, ''हाल के कुछ वर्षों में भुगतान आधारित किए गए कार्य जोकि घर के बाहर हुआ करते थे, अब घर के भीतर गृह आधारित काम में स्थानांतरित कर दिए गए है। पिछले कुछ दशकों में गृह आधारित कार्यों में जबरदस्त वृद्धि हुई है। कालीन बुनाई, कढ़ाई, कांच का काम माचिस आदि बनाना जैसे कार्य जो कि पूर्व में फैक्ट्री आदि स्तर पर किए जाते थे। अब वर्तमान में गृह आधारित इकाईयों में बच्चों द्वारा किये जा रहे हैं।

बाल श्रम– निर्धनता तथा अज्ञानता किसी बालक के जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं है। ये किसी भी बालक के लिए अभिशाप के समान है। गरीबी तथा अज्ञानता के कारण परिवार पर तो संकट आता ही है साथ–साथ बालकों का जीवन भी अंधकारमय हो जाता है। ऐसे बालकों का जीवन गरीबी, भुखमरी, परिवार की जिम्मेदारी तथा आर्थिक संकट की भेंट चढ़ जाता है। जिस उम्र में बालक खेलकूद, पढ़ने–लिखने में व्यस्त होते है, उस उम्र में इन बालकों को परिवार का जीवनयापन करने के लिए काम करना पड़ता है। ये बालक सड़कों पर कूड़ा बीनते, कारखानों में काम करते, ढाबों–होटलों में झूठे बर्तन धोते हुए, नौकर का काम करते हुए अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहे होते है।

बाल श्रमिक का अर्थ– बाल श्रमिक शब्द का अर्थ 14 वर्ष से कम आयु के उस बालक से है जो कि कारखानों, दुकानों, खानों, घरेलू औद्योगिक इकाईयों आदि में एक कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन– बाल श्रम को उस कार्य के रूप में परिभाषित करता है जो बालकों को उनके बचपन से वंचित करता है।

भारत में बाल श्रम कानून के अधिनियमन के माध्यम से बाल श्रम को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के कई प्रयास किये गए। 1881 में कारखाना अधिनियम जिसे प्रथम बाल श्रम कानून माना जाता है, को पारित किया गया। बालकों के हितों की रक्षा हेतु कई कानून बनाये गए तथा पहले से बने कई अधिनियमों–नीतियों में समयानुसार परिवर्तन भी किये गए। इन सब उपायों के बाद भी हम अपने आस–पास बाल श्रमिकों को बड़ी आसानी से देख पाते हैं।

ज़रदोजी उद्योग– जरी– ज़रदोजी उद्योग एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला उद्योग है। चौदहवीं तथा पन्द्रहवीं सदी के मुगल काल से भारत में ज़रदोजी कला के अस्तित्व के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। यह हस्तशिल्प यूरोपीय बाजारों तक पहुँच बना चुका है। परम्परागत रूप से केवल पुरूष ही ज़रदोजी का कार्य करते थे। परन्तु वर्तमान में महिलाएं एवं बच्चे भी इस कार्य को करते हैं। जरी ज़रदोजी एक प्रकार की हाथ की कढ़ाई है जोकि आमतौर पर सुई, धागे, धातु के तारों तथा सलमा–सितारों आदि की सहायता से की जाती है। कला और संस्कृति से समृद्ध भारत का हर क्षेत्र किसी न किसी हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है।

जरी– ज़रदोजी भी इन्हीं हस्तशिल्पों में से एक है। डिजायन के अनुसार विभिन्न प्रकार के कच्चे माल जैसे सितारा गोटा, चांदला, दबका आदि का प्रयोग करके परिधानों, पर्स, जूतों, बेल्ट तथा सजावटी वस्तुओं आदि पर की जाती है। कारीगर तथा उनके परिवारों ने जरी ज़रदोजी कला को पुस्तैनी पेशे के रूप में अपनाया है। परन्तु समय के साथ–साथ इस कार्य में कम मजदूरी तथा रोजगार की संभावनाएं भी कम हो गई है। परन्तु आज भी कई कारीगर तथा उनके परिवार जरी– ज़रदोजी का कार्य कर रहे है। बच्चे तथा महिलाएं भी श्रमिक के रूप में इस कार्य को कर रहे हैं।

अध्ययन के उद्देश्य– इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य ज़रदोजी उद्योग में कार्यरत बालकों के श्रमिक बनने के पीछे के कारणों का अध्ययन करना है।

शोध विधि– यह अध्ययन मुख्य रुप से क्षेत्र सर्वेक्षणों के माध्यम से एकत्र किए प्राथमिक आँकड़ों पर आधारित है। अध्ययन हेतु बरेली जिले में स्नोबॉल सैंपलिंग द्वारा प्रदत्तों का संकलन किया गया। शोधकर्त्री द्वारा बरेली जिले के ज़रदोजी उद्योग में संलग्न बाल श्रमिकों को न्यादर्श के रुप में चयनित किया गया। शोधकर्त्री ने अपने अध्ययन हेतु निम्नलिखित बस्तियों का चयन किया– कंजादासपरु, नगरिया कला, करमपुर चौधरी, पीर बहोड़ा, परतापुर, बिहारीपुर, मुडिया अहमद नगर, भोजीपुरा, फरीदापुर चौधरी, सूफी टोला, श्यामगंज, पुराना शहर, बाकरगंज, रिठौरा, जगतपुर। इन क्षेत्रों को चयनित करने का मुख्य कारण इन क्षेत्रों में बाल श्रमिकों की अधिकता तथा ज़रदोजी कार्य का घनत्व था।

अध्ययन के दौरान अनुसंधान के प्रदत्त संकलन हेतु गुणात्मक अनुसंधान की विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया गया– साक्षात्कार, समूह चर्चा, फोटोग्राफ, अवलोकन आदि। इसके अन्तर्गत ज़रदोजी उद्योग में संलग्न 100 बाल श्रमिकों के नृवंशवैज्ञानिक शोध विधि के अनुसार साक्षात्कार लिये गए। शोधकर्त्री ने बाल श्रमिकों के व्यवहार, प्रतिक्रियाओं तथा दिनचर्या आदि का बहुत करीब से अवलोकन किया। द्वितीयक डेटा के लिए शोधकर्त्री ने विभिन्न शोध प्रबन्धों, प्रिंट मीडिया, (समाचार पत्र/पत्रिकाएं) प्रसांगिक साहित्य, कानून आदि के साथ रिपोर्ट और पुस्तकों से सन्दर्भ लिया।

शोध समग्र– प्रस्तुत शोध में समग्र से अभिप्राय बरेली जनपद के संगठित तथा अंगठित क्षेत्र में कार्यरत बाल श्रमिकों से है। प्रस्तुत शोध का समग्र ऐसा है जिसमें इकाईयों की संख्या ज्ञात करना असंभव है। असंगठित कार्य क्षेत्र में बाल श्रमिकों का अनुमान लगाना कठिन है तथा संगठित क्षेत्र में कोई भी व्यापारी या नियोक्ता बाल श्रम को सूचना नहीं देता है।

शोध न्यादर्श– शोध न्यादर्श के रूप में शोधकर्त्री ने विभिन्न बस्तियों से 100 बाल श्रमिकों का चयन किया। शोध अध्ययन हेतु शोधकर्त्री ने इन 100 बाल श्रमिकों के साक्षात्कार के लिए, उनकी दिनचर्या तथा व्यवहार का अवलोकन किया।

निष्कर्ष– इस अध्ययन का उद्देश्य बरेली जिले के ज़रदोजी उद्योग ने संलग्न बाल श्रमिकों का पता लगाना था। इस अध्ययन के द्वारा ज़रदोजी कार्य करने वाले बाल श्रमिकों के अनुभवों उनकी प्रतिक्रियाओं तथा उनकी दैनिक गतिविधियों आदि का पता लगाया गया। गहन साक्षात्कार तथा अवलोकन के द्वारा ज्ञात हुआ कि ज़रदोजी उद्योग में बाल श्रम के कई कारण है। ये बच्चे अपने परिवार के साथ ज़रदोजी के कार्य में विभिन्न प्रक्रियाओं में लगे हुए है। छोटी उम्र के बच्चे ज़रदोजी कार्य में सुई द्वारा कार्य न करके सितारे, मोती आदि को चिपकाने का कार्य करते हैं। सामाजिक–सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इस सामाजिक बुराई का मुख्य कारण है क्योंकि लोग बुनियादी शिक्षा को महत्व न देकर उससे वंचित है। चूंकि अनौपचारिक क्षेत्रों में अधिकांश कार्य पारिवारिक गतिविधि के रूप में होते हैं। जिस कारण इसमें बच्चे आसानी से शामिल हो जाते हैं।

ज़रदोजी शिल्प इन बाल श्रमिकों एवं इनके परिवारों के लिए आजीविका का साधन है। वे लम्बे समय तक शोषणकारी परिस्थितियों में भी इस कार्य को कर रहे हैं। एकत्र किए गए शोध निष्कर्षों से ज्ञात हुआ कि बरेली जिले में ज़रदोजी उद्योग में बाल श्रम व्याप्त है। ज़रदोजी उद्योग में बारीक काम करने के कारण बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा उनकी शिक्षा पर इसका प्रभाव पड़ रहा है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. मिश्रा, आर0के0 (2003); चाइल्ड लेबर इन हैजरडेश सेक्टर्स, डिस्कबरी पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
2. प्रसाद, एन0 (2001); जनसंख्या वृद्धि और बाल श्रम, कनिष्क पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
3. अग्रवाल, आर0 (1994); स्ट्रीट चिल्ड्रन : ए सोशियो साइकोलॉजिकल स्टडी, शिप्रा प्रकाशन, नई दिल्ली।
4. कुमार, राजीव (011); बदलते भारत में बाल श्रम की समस्या (एक विश्लेषणात्मक, अध्ययन) द सोसायटी, एन इंटरनेशनल इंटर डिस्प्लेनरी जर्नल, वाराणसी।
5. गुप्ता, सी0एस0 (1996); ज़रदोजी : सोने की चमकती कढ़ाई, अभिनव प्रकाशन।
6- सिंह, एस0 (2018); लखनऊ की चमकदार कढ़ाई : ज़रदोजी शिला का अवलोकन मानव विज्ञान कला और सामाजिक में अनुसंधान अमेरिकन इंटरनेशनल जर्नल, रिट्राइब : iasir.net/AIJRHASS-317.pdf.